



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032023-244754
CG-DL-E-29032023-244754

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1390]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2023/चैत्र 8, 1945

No. 1390]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2023/CHAITRA 8, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2023

का.आ. 1443(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. ६७७ (अ) तारीक १४ फरवरी २०२३, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा दिल्ली राज्य के दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले में NH-344 M के कि.मी. 26 से कि.मी.39 (ओल्ड टर्मिनल टैक्स बिल्डिंग कापसहेडा, नई दिल्ली) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "१९ फरवरी २०२३" को "द इंडियन एक्सप्रेस" और "दैनिक भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

दिल्ली राज्य के दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले में NH-344 M के कि.मी. 26 से कि.मी.39 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: दिल्ली		जिले का नाम: दक्षिण पश्चिम दिल्ली			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: नजफगढ़				
	गांव का नाम: दिचाऊं कलां				
1	120//18/1	सरकारी	कृषि	0.07587	सरकारी (गौशाला) ()
2	120//23/1 min	निजी	कृषि	0.15174	रीतू पत्नी सतीश कुमार 1/8 भाग, रामनिवास, अशोक कुमार, महेश कुमार, मुकेश कुमार पुत्रान रामचंद्र समभाग 1/8 भाग, कमला पत्नी सुखवीर 1/8 भाग, सुनीता पत्नी महावीर 1/8 भाग, राजेश कुमारी पत्नी सुरेन्द्र सिंह 1/16 भाग, शिवलेन्द्र पुत्र, वेदवती-कमलेश पुत्रीयान, सुरेश बेवा रघवीर समभाग 1/8 भाग, विरेन्द्र सिंह-पवन कुमार, मुकेश कुमार पुत्रान बिजे सिंह समभाग 1/4 भाग, ग्रामवासी, मेहर सिंह पुत्र सिंघ राम 1/16 भाग साकिन महीपाल पुर, नई दिल्ली (120//23/1 मिन्)
3	125//15/1/1	निजी	कृषि	0.037935	आनन्द, नित्यानंद, देवानंद शौकिन पुत्रान महेन्द्र सिंह समभाग (125//15/1/1)
4	125//4/1 min	निजी	कृषि	0.10959	रीतू पत्नी सतीश कुमार 1/8 भाग, रामनिवास, अशोक कुमार, महेश कुमार, मुकेश कुमार पुत्रान रामचंद्र समभाग 1/8 भाग, कमला पत्नी सुखवीर 1/8 भाग, सुनीता पत्नी महावीर 1/8 भाग, राजेश कुमारी पत्नी सुरेन्द्र सिंह 1/16 भाग, शिवलेन्द्र पुत्र, वेदवती-कमलेश पुत्रीयान,

					सुरेश बेवा रघवीर समभाग 1/8 भाग, विरेन्द्र सिंह-पवन कुमार, मुकेश कुमार पुत्रान बिजे सिंह समभाग 1/4 भाग, ग्रामवासी, मेहर सिंह पुत्र सिंघ राम 1/16 भाग साकिन महीपाल पुर, नई दिल्ली (125//4/1 मिन)
5	125//7/1	निजी	कृषि	0.088515	रीतू पत्नी सतीश कुमार 1/8 भाग, रामनिवास, अशोक कुमार, महेश कुमार, मुकेश कुमार पुत्रान रामचंद्र समभाग 1/8 भाग, कमला पत्नी सुखवीर 1/8 भाग, सुनीता पत्नी महावीर 1/8 भाग, राजेश कुमारी पत्नी सुरेन्द्र सिंह 1/16 भाग, शिवलेन्द्र पुत्र, वेदवती-कमलेश पुत्रीयान, सुरेश बेवा रघवीर समभाग 1/8 भाग, विरेन्द्र सिंह-पवन कुमार, मुकेश कुमार पुत्रान बिजे सिंह समभाग 1/4 भाग, ग्रामवासी, मेहर सिंह पुत्र सिंघ राम 1/16 भाग साकिन महीपाल पुर, नई दिल्ली (125//7/1)
			कुल	0.46365	

[फा. सं. PIU/DWE/19/05/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2023

S.O. 1443(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 677 (E) dated 14th February 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-344 M on the stretch of land from Km. 26 to Km. 39 (old Terminal Tax Building Kapashera, New Delhi) in the district of SOUTH WEST DELHI in the state of DELHI.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Indian express” and “Dainik Bhaskar” both dated 19th February 2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-344 M in the stretch of land from Km 26 to Km 39 in the district of SOUTH WEST DELHI in the state of DELHI.

State: DELHI		District: SOUTH WEST DELHI			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.1
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Najafgarh				
	Village: Dichaon Kalan				
1	120//18/1	Government	Agriculture	0.07587	Government (Gaushala) 120//18/1
2	120//23/1 min	Private	Agriculture	0.15174	Ritu W/o Satish Kumar 1/8 Share, Ramniwas, Ashok Kumar, Mahesh Kumar, Mukesh Kumar Ss/o Ramchander equal Share 1/8 Share, Kamla W/o Sukhviri 1/8 Share, Sunita W/o Mahavir 1/8 Share, Rajesh Kumari W/o Surender Singh 1/16 Share, Shivrinder Son, Vedwati - Kamlesh Daughters, Suresh Wd/o Raghbir equal Share 1/8 Share, Virender Singh, Pawan Kumar, Mukesh Kumar Ss/o Bijie Singh 1/4 Share all R/o Grambasi, Mehar Singh S/o Singh Ram 1/16 Share R/o Mahipal Pur, New Delhi 120//23/1 min
3	125//15/1/1	Private	Agriculture	0.037935	Anand, Nityanand & Devanand Shokeen Ss/o Mahender Singh equal share 125//15/1/1
4	125//4/1 min	Private	Agriculture	0.10959	Ritu W/o Satish Kumar 1/8 Share, Ramniwas, Ashok Kumar, Mahesh Kumar, Mukesh Kumar Ss/o Ramchander equal Share 1/8 Share, Kamla W/o Sukhviri 1/8 Share, Sunita W/o Mahavir 1/8 Share, Rajesh Kumari W/o Surender Singh 1/16 Share, Shivrinder Son, Vedwati - Kamlesh Daughters, Suresh Wd/o Raghbir equal Share 1/8 Share, Virender Singh, Pawan Kumar, Mukesh Kumar Ss/o Bijie Singh 1/4 Share all R/o Grambasi, Mehar Singh S/o Singh Ram 1/16 Share R/o Mahipal Pur, New Delhi 125//4/1 Min
5	125//7/1	Private	Agriculture	0.088515	Ritu W/o Satish Kumar 1/8 Share, Ramniwas, Ashok Kumar, Mahesh Kumar, Mukesh Kumar Ss/o Ramchander equal Share 1/8 Share, Kamla W/o Sukhviri 1/8 Share, Sunita

					W/o Mahavir 1/8 Share, Rajesh Kumari W/o Surender Singh 1/16 Share, Shivlender Son, Vedwati - Kamlesh Daughters, Suresh Wd/o Raghbir equal Share 1/8 Share, Virender Singh, Pawan Kumar, Mukesh Kumar Ss/o Bije Singh 1/4 Share all R/o Grambasi, Meher Singh S/o Singh Ram 1/16 Share R/o Mahipal Pur, New Delhi 125//7/1
			TOTAL	0.46365	

[F. No. PIU/DWE/19/05/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.